संख्या-8/2017/क0नि0-रिट-183/11-2017-600(09)/2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन, अनुभाग-4 **लखनऊ, दिनांक 07 नवम्बर, 2017**

विषय: रिट याचिका सं0-395/2016, सर्वश्री एल0जी0 इलेक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0 नोएडा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2016 के समादर में ब्याज के भुगतान हेतु रू0-1,07,77,608.00 की पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-बी-1-5-बजट/पुनर्विनियोजन/2017-18/485/ वाणिज्य कर, दिनांक 15.09.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत ब्याज के भुगतान हेतु संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार रु0-1,08,00,000.00 (रुपया एक करोड़ आठ लाख मात्र) की व्यवस्था सुसंगत लेखाशीर्षक में पुनर्विनियोग के माध्यम से कर दी गई है। तद्नुसार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2016 के समादर में सर्वश्री एल0जी0 इलेक्ट्रानिक्स प्रा0 लि0 नोएडा को ब्याज के भुगतान हेतु धनराशि रू0-1,07,77,608.00 (रुपया एक करोड़ सात लाख सतहत्तर हजार छः सौ आठ मात्र) आहरित कर व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल, उ0प्र0 निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया जा रहा है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।
2. पुनर्विनियोग कराई जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।
3. यह पुनर्विनियोग मात्र बजट व्यवस्था कराए जाने के प्रयोजन से किया जा रहा है। भुगतान के सम्बन्ध में कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार परीक्षण करते हुए सम्पूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही करेंगे।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/2017/क0नि0-4-रिट-183(1)/11-2017-तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहबाद।

2-निदेशक, द्वितीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहन भवन, लखनऊ।

3-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहन भवन, लखनऊ, उ0प्र0/ कोषाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।

4-एडी0कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

5-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।

6-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1।

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।